न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 83/2022

1 रामकुमार पुत्र भींवाराम।
2 रामजीलाल पुत्र हनुमान।
3 सत्यवीर पुत्र हनुमान।
4 रोहिताश पुत्र जयनारायण।
5 बलवीर पुत्र जयनारायण।
6 ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण सारी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सहीराम पुत्र मालाराम।
2 धर्मपाल पुत्र हनुमान।
3 राजेन्द्र पुत्र हनुमान।
4 सुशीला पुत्री जयनारायण।
5 संतोष पुत्र जयनारायण।
6 विमला पुत्री जयनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण सारी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलताना जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 23.06.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी सहीराम बनाम धर्मपाल मुकदमा नम्बर 02/2022 प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 8-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 67 रकबा 1.25 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम झांझोत तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 सहीराम ने जमीन हाल खसरा नम्बर 67 मे आने जाने के लिए ग्राम झांझोत के खसरा नम्बर 659/66 व खसरा नम्बर 66 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 15 फीट चौड़ाई के रास्ते बाबत अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 23.06.2022 को आलौच्य निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 67 के लिए खसरा नम्बर 659/66 में से 15 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है। खसरा नम्बर 659/66 का रकबा मात्र 0.03 हैक्टर है इसमें से 4 मीटर रास्ता मांगा गया है। इस खसरा नम्बर में मकान भी अवस्थित है। इसमें से रास्ता दिये जाने पर रकबे से अधिक भूमि रास्ते में जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई है। मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट की आपत्ति को दरकिनार किया गया है। मौके पर 2 मकान, कुएं की नाल एवं ट्रांसफार्मर अवस्थित है। मौका रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा सहखातेदारों से तहसीलदार के समक्ष आपसी विभाजन कर रास्ते का प्रावधान रखा गया था। खसरा नम्बर 659/66 रास्ते की ही भूमि है। मौके पर अपीलांट द्वारा बताया गया मकान, कुए की नाल एवं ट्रांसफार्मर होने का तथ्य मौका रिपोर्ट पर नहीं है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु अपीलांट ने अपील के स्तर पर भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सहखातेदारों से तहसीलदार के समक्ष आपसी विभाजन कर रास्ते का प्रावधान रखा गया था। खसरा नम्बर 659/66 रास्ते की ही भूमि है। मौके पर अपीलांट द्वारा बताया गया मकान, कुए की नाल एवं ट्रांसफार्मर होने का तथ्य मौका रिपोर्ट पर नहीं है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु अपीलांट ने अपील के स्तर पर भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदनकर्ता के पास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पृथक से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर